न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 01/2018
प्रविष्टि दिनांकः— 12—01—2018

प्रहलाददास पुत्र छीतरदास जाति वैष्णव निवासी बरोल तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 ..... अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक ..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार मालपुरा
दिनांक 15—09—2017 अन्तर्गत धारा 75 रा.ले.एक्ट 1956

उपस्थितः (1)श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 22—03—2018**

1— संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार मालपुरा ने उनके आदेश दि0 15.09.2017 द्वारा ग्राम गनवर तहसील मालपुरा के खसरा नम्बर 17/2.16, 18/5.08, 19/2.08, 20/1.15, 178/6.14, 179/5.11, 180/6.15 बीघा भूमि सिवायचक पर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2074 में किये गये फसल मूंग, ज्वार की काश्त कर अतिक्रमण स्वरूप अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर 742.50/—रू0 पेनल्टी आरोपित करने के साथ फसल को निलामी का आदेश पारित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

2— अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अपीलाधीन प्रकरण को मंगवाया गया।

3— अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजो में नकल निर्णय नायब तहसीलदार मालपुरा दिनांक 15.09.2017, फोटो प्रति खसरा परिवर्तशील, आदेशिकाए सी0जे0 मालपुरा मय प्रार्थना पत्र टीआई की प्रति प्रस्तुत की है।

4— हमने उभय पक्षीय बहस को सुना। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई को समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा अपीलाण्ट की और से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में सिविल न्यायालय में चल रहे प्रकरण की नकले प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 9.03.2017 से ही वादग्रस्त सम्पत्ति की स्थिति यथावत बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सिविल न्यायालय द्वारा आदेश दिया हुआ है। अपीलाण्ट ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि उसके पिता छीतरदास पुत्र नारायणदास के समय से ही पिता व अब अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा वादग्रस्त भूमि के कब्जे का अंकन पी. 14 किया जाता रहा है तथा अपीलाण्ट इस भूमि से कभी बेदखल नहीं किया गया है तथा बेदखल करने का समय निकल चुका है,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

अपीलाण्ट अनपढ, काश्तकार व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में निर्णय नायब तहसीलदार मालपुरा दिनांक 15.09.17 कानून के खिलाफ जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर उक्त निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5— राजकीय पेराकार का कथन है कि अपीलाण्ट ने सम्वत 2074 में मूंग, ज्वार की फसल काश्त कर विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है को हटाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतिक्रमियान (अपीलाण्ट्स) को अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अतः नायब तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 उचित है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पटवारी हल्का गनवर ने अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2074 में ख0नं0 17, 18, 19, 20, 178, 179, 180 में सिवायचक भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2074 में फसल मूंग, ज्वार की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है जिसके फलस्वरूप अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए 742.50/—रू0 पेनल्टी आरोपित कर फसल निलाम कर राशि राजकोष में जमा कराने का निर्णय दिनांक 15.09.2017 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल में संलग्न अपीलाण्ट को जारी नोटिस का अवलोकन किया जिसमें तारीख पेशी में कांट छांट की गई है और नोटिस पर अपीलाण्ट की प्रोपर तामील भी नहीं कराई गई है, नोटिस जो जारी किया गया है व पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में दिया गया है किन्तु पश्चातवर्ती की कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। साथ ही निर्णय में अपीलाण्ट की एक और तो उपस्थिति बताई गई है और रिपोर्ट पटवारी हल्का के पृष्ठ पर अपीलाण्ट को गैर हाजिर माना है। वैसे पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक अपीलाण्ट के द्वारा सम्वत 2074 में ग्राम गनवर की उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर मूंग, ज्वार की फसल काश्त करके अतिक्रमण किया जाना प्रकट होता है। रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है परन्तु निर्णय में पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई हवाला नहीं है। सिविल न्यायालय द्वारा भी वादग्रस्त भूमि पर स्थगन जारी किया हुआ है। निर्णय में अपीलाण्ट को बेदखल किये जाने का अंकन नहीं है फिर भी रिपोर्ट पटवारी में बेदखल किया जाना सिद्व है। इन सभी तथ्यों रिपोर्ट पटवारी व निर्णय विरोधाभास प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

7. फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.09.2017 निरस्त करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार मालपुरा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलाण्ट को विधिवत रूप से नोटिस जारी करें एवं उसे सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे।

8— निर्णय आज दिनांक 22—03—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)